



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]
No. 463]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1993/पौष 10, 1915
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1993/PAUSA 10, 1915

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 1993

(ख) अनुसूची 1 में, क्रम संख्याक 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के परवात्, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी, अर्थात् —

मांकांति० 801(प्र)--केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् --

1 (1) इन नियमों का गन्तिन नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन के तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में--

(क) नियम 3 के उपनियम (3क) के खंड (1) में, 'उद्योगों, मक्रियाओं या प्रसंस्करणों में शब्दों के स्थान पर "उन उद्योगों, मक्रियाओं या प्रसंस्करणों में भिन्न उद्योगों," मक्रियाओं या प्रसंस्करणों से, जिनके लिए मानक, अनुसूची 1 में खिनिदिष्ट किए गए हैं" शब्द और शक रखे जाएँगे।

क्रम सं०	उद्योग	पैराग्रीटर	मानक,
1	2	3	4
"62	विस्कोस लुगु मूल (मानव निर्मित फाइबर प्रॉन-गर्भित उद्योग क उप-सेक्टर)	वहिल्लाव	(नि०ग्रा०/एस में मात्रण सिवाय पी एच के)
		पी एच	5 5--9 0
		निलविन टाम	100
		20° में पर बीओडी	30
		जस्ता (जैडगत के रूप में)	5"

(ग) सांकांति० 919(घ), तारीख 12 सितम्बर, 1988 द्वारा अंत स्थापित नियम 3 से संबंधित अनुसूची 2, का लोप किया जाएगा।

(घ) अनुसूची 6 के भाग-क में,—

(i) क्रम संख्याक 4, 24, 25, 26, 28 और 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) मद 10 में, "एनएच" शब्दों के स्थान पर "एन" अक्षर रखा जाएगा।

(iii) मद 11 में, "एन एच" शब्दों के स्थान पर "एनएच" शब्द रखे जाएंगे।

(iv) मद 12 में "अधिकतम" शब्द के स्थान पर "मिमा/नि० अधिकतम" शब्द रखे जाएंगे।

(v) + + + +

(vi) + + + +

(vii) मद 33 में "मॉड्यूल 5 और 6 के रूप में" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "(मॉड्यूल 5 और 6 के रूप में)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(viii) क्रम संख्याक 34(क) और क्रम संख्याक 34(ख) के सामने स्तम्भ 2 के नीचे 'यूवा/मूल' और 'यूवा/मूल' शब्दों के स्थान पर 'माइक्रोप्रो/मूल' शब्द रखे जाएंगे।

(ix) क्रम संख्याक 34(क) पर, स्तम्भ (ग) के नीचे "10-7" अंकों के स्थान पर "10-8" रखा रखे जाएंगे।

(x) क्रम संख्याक 34(ख) पर, स्तम्भ (घ) के नीचे "10-7" के स्थान पर "10-8" रखा रखे जाएंगे।

(8) अनुसूची 6 में भाग-ख के नीचे

(i) क्रम संख्याक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 के सामने "टन" शब्द के स्थान पर 'मेट्रिक टन' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) मद सं० 1, 2, 3, 4(क), 5(क), 5(ख), 6(i और ii), 7, 8, 10 और 11 (क और ख) में "एम०/टन" शब्दों के स्थान पर "एम० मेट्रिक टन" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) क्रम संख्याक 3 के सामने मद (क) 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदे रखी जाएंगी, अर्थात्—

"(ii) विस्कोम स्टेपिल रेशे उत्पाद के 150 एम०/मीटरी टन

(iii) विस्कोम फिनासेट रेशे उत्पाद के 500 एम०/मीटरी टन

(iv) * * *

(v) * * *

(vi) * * *

(9) अनुसूची 6 में भाग ग के नीचे —

(i) * * *

(ii) पंक्ति 10 में "एम टी" शब्दों के स्थान पर 'मीटरी टन' शब्द रखे जाएंगे।

(iii) पंक्ति 12 में "टन" शब्द के स्थान पर 'मीटरी टन' शब्द रखे जाएंगे।

(iv) * * *

(10) अनुसूची 6 में, भाग घ के संकेतित आधारित मानक से संबंधित मद 1 के नीचे —

(i) क्रम संख्याक 1 के सामने "निवृत्त सिद्धार्थ पदार्थ (एम०पी०एम०)" शब्दों के स्थान पर "भिक्षकण पदार्थ (एम०)" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) क्रम संख्याक 2 के सामने "कनो राइड" शब्द के स्थान पर "कुल कनो राइड" और अंक "10" के स्थान पर अंक "25" रखे जाएंगे,

(iii) क्रम संख्याक 3 के सामने "4 फाइबर/मी सी" शब्दों और अंक के स्थान पर "4 फाइबर/मी सी और धूत 2 एम जी/एन एम" से अधिक नहीं होनी चाहिए" शब्द और अंक रखे जाएंगे,

(iv) क्रम संख्याक 7, 10 और 12 और उनके संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा,

(v) * * *

(vi) क्रम संख्याक 11 के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे "20" अंकों के स्थान पर "10" अंक रखे जाएंगे;

(ज) अनुसूची 6 में, भाग घ के उल्लेख आधारित मानक से संबंधित मद 2 के नीचे,

(1) "सल्फर डाई थायोसाइड उपांतरों को छिन्नराव करके निवृत्त किया जाता है, तदनुसार चिमती की न्यूनतम ऊंचाई की सीमा निम्नानुसार विहित की गई है" शब्दों के स्थान पर "सल्फर डाईथायोसाइड के छिन्नराव के लिए तदनुसार चिमती की न्यूनतम ऊंचाई की सीमा निम्नानुसार विहित की गई है" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) * * *

(iii) * * *

(iv) मद 1 (ii) के सामने "कोयला खपत प्रतिदिन" शीर्षक के नीचे कौ प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(v) * * *

(अ) अनुसूची 6 में, भाग घ की मद 3 के नीचे —

(i) क्रम संख्याक 1 के सामने "एम पी एच" शब्द के स्थान पर, "भिक्षकण पदार्थ (पी एम)" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) * * *

(iii) क्रम संख्याक 2 के सामने "जस्ता प्रणालय परिवर्तित" शब्दों के स्थान पर "जस्ता प्रणालय/परिवर्तित" शब्द रखे जाएंगे।

(iv) क्रम संख्याक 7 के सामने "पी बी एम डब्ल्यू पूर्व पृष्ठपोषित पपशर्ब चालित" शब्दों के स्थान पर "पी बी एम डब्ल्यू = पूर्वपृष्ठपोषित पावरबै कार्या" शब्द और "पी बी सी डब्ल्यू = पूर्व पृष्ठपोषित चालित शब्दों के स्थान पर "पी बी सी. डब्ल्यू -- पूर्व पृष्ठपोषित कार्या" शब्द रखे जाएंगे।

(v) क्रम संख्याक 6 (क) के सामने 'नाउ ट्रेपोजियम के क्षेत्र में उसके अंतर्गत मधुरा, फ्लेक्जुर, सीकरी, ब्रायरा और भरतपुर, है, अवस्थिति परिष्करणियों के लिए निम्नलिखित मानक लागू होंगे" शब्दों के स्थान पर "नेप परिष्करणियों के लिए निम्नलिखित मानक लागू होंगे" शब्द रखे जाएंगे।

- (vi) क्रम सख्यांक 6 (क) के सामने, "वायुमंडलीय" शब्द के स्थान पर "(निर्वात के साथ वायुमंडलीय)" और "कि. ग्रा./मी. ट." शब्दों के स्थान पर "कि. ग्रा./मीटरी टन" शब्द रखे जाएंगे।
- (vii) क्रम सख्यांक 6 (ख) और उसमें संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- (अ) अनुसूची 6 के भाग ड में,—
- (i) पहली पंक्ति के सामने "(एक मीटर पर मुक्त क्षेत्र)" शब्दों के स्थान पर "(7.5 मीटर की दूरी पर मुक्त क्षेत्र)" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) मद ख (ख) में "वायु शक्ति" शब्दों के स्थान पर "वायुशक्ति" शब्द रखे जाएंगे।
- (ट) अनुसूची 6 के उपाबंध 1 में,—
- (i) क्रम सख्यांक 1 के सामने "(बी पी टी)" शब्दों के स्थान पर "(बी पी टी)" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) * * *
- (iii) क्रम सख्यांक 7 के सामने "औद्योगिक खनन और खनिज प्रसंस्करण क्रियाकलापों तथा मल जैसे निस्सारित सभी बहिष्क्रियाओं को लागू होगा" शब्दों के स्थान पर खनन और खनिज प्रसंस्करण क्रियाकलापों तथा मल जैसे निस्सारित सभी बहिष्क्रियाओं को लागू होगा, शब्द रखे जाएंगे।
- (iv) * * *
- (v) * * *
- (vi) * * *
- (vii) क्रम सख्यांक 11 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- (viii) * * *
- (ix) प्रविष्टि ग 13 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतर्भावित की जाएंगी।

"14 किसी उद्योगिक बहिष्क्रिया में शामिलित प्रदूषित अभिक्रिया (सी ओ डी) साधारण किसी प्राकृतिक निक्षेप (सार्वजनिक मलान्नी मिचार्ड भूमि, अंतर्देशीय भूपटल जल और सामग्रिक तटस्थता क्षेत्रों) में व्ययन में पूर्व यदि लगभग 250 एम जी. म. में प्रविष्टि उपस्थित किया जाता हो, तो ऐसी औद्योगिक इकाइयों से उठे कचरे को नष्ट करने के लिये नियम, 1986 की अनुसूची 1 में उद्योगिक अभिक्रिया उपस्थित पाए जाते हैं तो राज्य बोर्ड ऐसे मामलों में उद्योगों को समय सीमाबद्धित करने हुए, तुरंत एक अभिक्रियान्वयन सत्र संस्थापित करने का निर्देश देगा।

15. सार्वजनिक मलान्नी में बहिष्क्रिया के निस्सारण के लिए अनुसूची 6 के भाग क में निम्नलिखित मानक तभी लागू होंगे यदि ऐसी मलान्नी द्वितीयक अभिक्रियान्वयन के साथ है जिसमें जैव अभिक्रियान्वयन प्रणाली शामिल है अन्यथा, मलान्नी में निस्सारण को अंतर्देशीय भूपटल जल में निस्सारण समझा जाएगा।"

- (X) संख्यांक 9 (ग) के सामने "30° वि. ग्रा. लि. से अधिक बी ओ डी" शब्दों के स्थान पर "3 कि. ग्रा. लि. से अधिक बी ओ डी" शब्द रखे जाएंगे।
- (अ) अनुसूची 6 के उपाबंध 2 में,—
- (i) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,—
- "तांबा, सीसा तथा जस्ता प्रदूषण की दशा में, जहां तक संभव हो सस्फुरिक अम्ल बनाने के लिए ऑक्सीसों का उपयोग किया जा सकेगा।

- (ii) उपाबंध 2 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
- "4 कृपांता, (काऊंटी) की दशा में चिनकी क्षयता (गलन) 5 मीटर टन घंटा में कम है, निष्करण पदार्थ का उत्पन्न 450 एम जी/एन एम के अर्थर्षन होगा। इन मामलों में यह प्राथमिक है कि स्ट्रेक घात द्वारा के परे कृपांता के ऊपर बनाया जाए और उत्पन्न स्ट्रेक के साधन से (हो) जाए या कृपांता के दान से कम से कम 6 गुना होना चाहिए। अर्को भट्टी और प्रेरण (हो) का दोषा स्ट्रेक के माध्यम में उत्पन्न के निमर्जन से पूर्व वष भग्रहण करने के लिए बद्धम्या करनी पड़ेगी।"
- (iii) क्रम सख्यांक 1 (अ) में "12 वर्ग के पर 12 पलों में 12" सामने कम से कम दो बार किए जायेंगे" शब्दों का लोप किया जाएगा।

- (iii) * * *
- (iv) * * *

[का. म. कृ-15017/24/89 की पी डब्ल्यू]

टा. जॉर्ज जॉर्ज, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1993

G.S.R. 801(E).—In Exercise of the powers conferred by Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :

- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,—
 - (a) In rule 3, in sub-rule (3A), in clause (i), for the words "industrials, operations or processes shall", the words "industries, operations or processes other than those industries, operations or processes for which standards have been specified in Schedule I shall" shall be substituted.
 - (b) In Schedule I, after serial number 61 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely,—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
"62.	Viscose Filament Yarn (sub-sector of man-made fibre semi-synthetic industry)	Effluents	(Concentration in mg/l except for pH)
		pH.	5.5 9.0
		Suspended solids	100
		BD ₅ , at 20 °C	30
		Zinc (as Zn)	5"

- (c) Schedule II relating to rule 3, inserted vide No. G.S.R. 919(E), dated the 12th September, 1988 shall be omitted.
- (d) in Schedule VI in Part-A, —
- (i) serial numbers 4, 24, 25, 26, 28, 31 and 40 and the entries relating thereto shall be omitted.
 - (ii) in item 10 for the word "NH₃" the letter "N" shall be substituted;
 - (iii) in item 11 for the word "NH₃" the word "NH₃" shall be substituted.
 - (iv) in item 12, for the word 'max' the words "mg/l max" shall be substituted.
 - (v) in item 14, for the word 'Mg' the word 'mg' shall be substituted.
 - (vi) in item 29, for the word 'Flouride' the word 'Flouride' shall be substituted.
 - (vii) in item 33, for the words "(as C₂H₅OH)" the words "(as C₆H₆ OH)" shall be substituted;
 - (viii) under column 2 against serial number 34(a) and 34(b) for the words "Uc/ml" and "uc/ml", the words "micro curie/ml" and "micro curie/ml" shall be substituted.
 - (ix) Under column (c) at serial number 34(a) for the figure "10⁻⁷", the figure "10⁻⁸" shall be substituted.
 - (x) Under column (d) at serial number 34(b) for the figure "10⁻⁷", the figure "10⁻⁸" shall be substituted.
- (e) In Schedule VI, under Part -B, —
- (i) against serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 11 for the word "ton", the word "tonne" shall be substituted;
 - (ii) in items Nos. 1, 2, 3, 4(a), 5(a), 5(b), 6(i & ii), 7, 8, 10 and 11 (a & b), for the words "M³/ton" the words "m³/tonne" shall be substituted;
 - (iii) Against serial number 3 for the item (a)(ii) and the entries relating thereto, the following items shall be substituted, namely :—
 - "(ii) Viscose Staple Fibre : 150 m³/tonne of product;
 - (iii) Viscose Filament Yarn : 500 m³/tonne of product";
 - (iv) in item 4(b), 4(c) and 9, for the words "m³/KL" the words "m³/KL" shall be substituted;
 - (v) in item 5(b), for the word "below", the word "blow" shall be substituted; and
 - (vi) in item 6(1) for the word "fiber", the word "fibre" shall be substituted.
- (f) In Schedule VI, under Part C,—
- (i) in lines 3 and 12 for the word "Kg" the word "kg" shall be substituted.
 - (ii) In line 10 for the word "MT" the word "tonne" shall be substituted.
 - (iii) In line 12, for the word "ton", the word "tonne" shall be substituted.
 - (g) in Schedule VI under Item I of Part-D relating to concentration based standards, —
 - (i) against serial number 1, for the words "Suspended Particulate Matter (SPM)", the words "Particulate Matter (PM)" shall be substituted;
 - (ii) against serial number 2, for the word "Fluoride", the words "Total Fluoride" and for the figure "10", the figure "25" shall be substituted;
 - (iii) against serial number 3, for the words and figure "4 Fibre/cc" the words and figure "4 Fibres/cc and dust should not be more than 2 mg/Nm³" shall be substituted;
 - (iv) serial numbers 7, 10 and 12 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (v) against serial number 9, for the word "1% tax" the word "1% max (v/v)" shall be substituted.
 - (vi) against serial number 11, under the column 3, for the words and figures "20 mg/Nm³", the words and figures "10 mg/Nm³" shall be substituted.
 - (h) in Schedule VI, under Item-II of Part-D relating to equipment based standards, —
 - (i) for the words "Control of Sulphur dioxide emissions are achieved through dispersion. Minimum stack height limit is accordingly prescribed as below", the words "For dispersal of sulphur dioxide, a minimum stack height limit is accordingly prescribed as below : " shall be substituted;
 - (ii) against serial number 1 for the word "meters" the word "metre" shall be substituted.
 - (iii) in item 1(ii) for the word "T/hr", the word "tonne/hr" shall be substituted.
 - (iv) the entries against the item 1(ii) under heading "coal consumption per day" shall be omitted; and
 - (v) in the note—the words "MT-Metric tonnes" shall be omitted and for the word "metres" the word "metre" shall be substituted.

(i) in Schedule VI, under Item III of Part-D, —

- (i) against serial number 1, for the word "Fertilisers", the word "Fertiliser", and for the word "SPM", the words "Particulate Matter (PM)" shall be substituted;
- (ii) against serial number 1, 2, 3, 4, and 5 for the word "Kg/l" the word "kg/tonne" shall be substituted;
- (iii) against serial number 2, for the words "Zinc Smelting Converter", the words "Zinc Smelter Converter" for the figures and words "(100%)" and produced the words and figures "(100%)" acid produced" and for the letter "l" the word "tonne" shall be substituted;
- (iv) against serial number 7, for the words "PBSD — Pre backed Side Worked" the words "PBSD — Pre Backed Side Work" and for the words "PBCW—Pre backed Centre Worked" the word, "PBCW — Pre Backed Centre Work" shall be substituted;
- (v) against serial number 6(a) for the words, "For the oil refineries located in the area of Taj trapezium which include Mathura, Fatehpur Sikri, Agra and Bharatpur, the following standards shall be applicable", the words "For the oil refineries, the following standards shall be applicable" shall be substituted;
- (vi) against serial number 6(a), for the word "(Atmospheric)" the words "(Atmospheric plus vacuum)" and for the word "Kg/MT" the word "kg/tonne" shall be substituted;
- (vii) serial number 6(b) and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) in Schedule VI, Part-E,—

- (i) against line 1, for the words "Free Field at one Metre" the words "(Free Field Distance at 7.5 Metre)" shall be substituted;
- (ii) in item B(b) for the word "coolers" the word "coolers" shall be substituted.

(k) in Schedule VI in Annexure I, —

- (i) against serial number 1 for the word "(BPT)", the word "(BAT)" shall be substituted;
- (ii) in item No. 7 for the word "effluents" the word "effluents" shall be substituted;
- (iii) against serial number 7, for the words "shall apply to all the effluents discharged such as industrial", the words "shall also apply to all other effluents discharged such as" shall be substituted;

(iv) under item 9(a) in 8th line for the word "characteristics", the word "characteristics" shall be substituted;

(v) in item 9(f) for the word "fr" the word "for" shall be substituted;

(vi) in item 10 at line 6 for the word "industries" the word "industries" shall be substituted;

(vii) serial number 11 and the entries relating thereto shall be omitted;

(viii) in item 12 for the word "fluoride" the word "fluoride" shall be substituted;

(ix) after entry No. 13 and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted :

"14. The chemical oxygen demand (COD) concentration in a treated effluent, if observed to be persistently greater than 250 mg/l before disposal to any receiving body (public sewer, land for irrigation, inland surface water and marine coastal areas), such industrial units are required to identify chemicals causing the same. In case these are found to be toxic as defined in the Schedule-I of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989, the State Boards in such cases shall direct the industries to install tertiary treatment stipulating time limit.

15. Standards specified in Part A of Schedule VI for discharge of effluents into the public sewer shall be applicable only if such sewer leads to a secondary treatment including biological treatment system, otherwise the discharge into sewers shall be treated as discharge into inland surface waters."

(x) against item 9(c) for the words "BOD more than 30 mg/l" the words "BOD more than 3 mg/l" shall be substituted.

(l) in Schedule VI in Annexure II,—

(i) for item 3, the following shall be substituted, namely : "In case of copper, lead and zinc smelting, the off-gases may, as far as possible, be utilised for manufacturing sulphuric acid."

(ii) At the end of Annexure II, the following shall be added, namely :

"4. In case of cupolas (Foundries) having capacity (melting rate) less than 3 tonne/hour, the particulate matter emissions shall be within 450 mg/Nm³. In these cases it is essential that stack is constructed over the cupola beyond the charging door and the emissions are directed through the stack, which should be at least six times the diameter of cupola. In respect of Arc Furnaces and Induction Furnaces, provision has to be made for collecting the fumes before discharging the emissions through the stack."

- (iii) in serial number 1(j) the words “The measurements are to be conducted at least twice a month for all the 12 months in a year” shall be omitted.
- (iv) in item 1 (a, b, c, d, e, f, g, h, i and j) for the word “NM” the word “Nm” shall be substituted.
- (v) in item j, for the words “micrograms|NM” the words “micrograms|Nm” shall be substituted.

[No. Q. 15017|24|89 CPW]

T. GEORGE JOSEPH, Jt. Secy.

FOOT NOTE.—Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification S.O. No. 844(E) dated the 19th November, 1986. Amending rules were published vide S.O. No. 433(E) dated 18-4-1987, S.O. No. 64(E) dated 18-1-1988, S.O. No. 12(E) dated 8-1-1990, S.O. No. 8(E) dated 3-1-1982, S.O. No. 190(E) dated 15-3-1989, G.S.R. 912(E) dated 24-10-1989, G.S.R. 742(E) dated 30-8-1990, S.O. No. 23(E) dated 16-1-1991, G.S.R. 93(E) dated 21-2-1991, G.S.R. 95(E) dated 12-2-1992, G.S.R. 329(E) dated 13-3-1992, G.S.R. 475(E) dated 5-5-1992, G.S.R. 797(E) dated 1-10-1992, G.S.R. 386(E), dated 28-4-1993 and G.S.R. 422(E) dated 19-5-1993.